



## JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

Corporate Identity Number (CIN) -U40109RJ2000SGC016483

Regd. Office: New Power House, Jodhpur- 342003

Phone No : 0291-2746255 : Fax No : 0291-2742228

E-mail: seppmju@gmail.com Web site: www.jdvvn.com

क्रमांक : जोडि/अति.मु.अ. (मु)/अधी.अभि.(पीपीएम) / जोधपुर/अधि.अभि.(एसएण्डआई)/ फा.कृषि/ प्रे० 44 दिनांक 31.5.19

विषय:- कृषि कनेक्शन नीति-2017 में बिन्दु संख्या 10.2 का स्पष्टीकरण।

सन्दर्भ:- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पीपीएम), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर के कार्यालय पत्रांक 1370 (आर.ई.ओ. 287) दिनांक 07.03.2019 के संबंध में।

कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 10.2 का विवरण निम्न हैं। सामान्य योजना के आवेदक जो निर्धारित अवधि में मांगपत्र जमा नहीं करवाते हैं, वे अपने आवेदन को रू. 500/- जमा करवा कर पुनर्जीवित करवा सकेंगे बशर्ते वे मांग पत्र जारी करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में आवेदन करते हैं। मांगपत्र राशि जमा करने की अंतिम दिनांक से जितने दिन बाद आवेदन को पुनर्जीवित करने हेतु रू. 500/- जमा करवाते हैं, उसके आवेदन की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि से उतनी ही आगे कर निर्धारित की जावेगी किन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जावेगी तथा मांगपत्र नवीन प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जावेगा।

### स्पष्टीकरण

कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 10.2 के उपरोक्त पैरा का स्पष्टीकरण:-

सामान्य योजना के आवेदक जो निर्धारित अवधि में मांग पत्र जमा नहीं कराते हैं, तो वे जितनी बार भी चाहे अपने आवेदन को आवेदन शुल्क रू. 500 जमा कराके पुनर्जीवित करा सकेंगे, बशर्ते वे प्रथम (मूल) मांग पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से पाँच वर्ष की अवधि में आवेदन करते हैं। उनकी आवेदन की प्राथमिकता मूल आवेदन की तिथि से उतने दिन आगे कर निर्धारित की जावेगी। किन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जावेगी।

*(Handwritten Signature)*  
31.5.19  
(एम.आर. मीणा)

अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर जोन/बीकानेर जोन/बाड़मेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (एएण्डआईए/बी एण्ड आर/डब्ल्यू एण्ड एम), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रावैधिक सहायक, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियंता (नगर/ज़िला/पवस/सतर्कता/टीडब्ल्यू/वाणिज्य/एमएम/एमएण्डपी/ बीएफएल), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/सिरोही/जालौर/जैसलमेर/बाड़मेर/ बीकानेर/चुरु/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर को पालनार्थ।
9. अधीक्षण अभियंता (आई.टी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)/उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
11. निजी सचिव- माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
12. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ।
13. जनसंपर्क अधिकारी जोविविनिलि, जोधपुर।

*(Handwritten Signature)*  
31.5.19  
अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर